

विदेशी मुद्रा भंडार घट कर 601.057 अरब डालर पर

मुंबई, 11 जून (भाषा)। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार तीन जून को समाप्त सप्ताह में 30.6 करोड़ डालर घट कर 601.057 अरब डालर पर आ गया। आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार इससे पिछले सप्ताह, विदेशी मुद्रा भंडार 3.854 अरब डालर बढ़ कर 601.363 अरब डालर हो गया था।

दक्षिणी रेलवे

त्रिवेन्द्रम (निर्माण शाखा)

ई-निविदा सूचना सं. V/W/TVC/10/2022

दिनांकित: 07.06.2022

परिशिष्ट IV (प्रतिभूति हित प्रदान) नियमावली 2002 का नियम 8(1) देखें।

आधिपत्य सूचना (अवध संघित हेतु)

भारत के राष्ट्रपति के लिए एवं उनकी ओर से राष्ट्रपतीय प्रवेश प्रबंधन/निर्माण शाखा/त्रिवेन्द्रम मण्डल, त्रिवेन्द्रम-14 द्वारा हमारे ई-निविदा पोर्टल www.ireps.gov.in में दी गई निविदा सूचना के अनुसार निम्नलिखित कार्यों के लिए ऑनलाइन निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। त्रिवेन्द्रम मण्डल में कार्यों के लिए ई-निविदा हेतु आवेदन करने हेतु निविदादाता(ओं)/उत्केदार(रों) को ई-निविदा पोर्टल www.ireps.gov.in पर नामांकित होने की आवश्यकता है तथा केवल ऑनलाइन निविदाएं स्वीकार्य होंगी।

क्र. सं.	विवरण
1.	खरिद अनुमान अभियन्ता/पी. वे/मवीलिकारा एवं अल्पवे – मानसून रात्रि निरीक्षण करने के लिए बहिःखोजन द्वारा अर्द्ध-कुशल श्रमिकों की कार्यव्यवस्था; अनुमानित मूल्य रु. लाख में: 22.47; धरोहर राशि जमा: रु. 45000; समापन अवधि माह में: चार
2.	खरिद अनुमान अभियन्ता/पी. वे/विदोलन वरकाला, त्रिवेन्द्रम एवं नागकोडेल – मानसून रात्रि निरीक्षण करने के लिए बहिःखोजन द्वारा अर्द्ध-कुशल श्रमिकों की कार्यव्यवस्था; अनुमानित मूल्य रु. लाख में: 19.67; धरोहर राशि जमा: रु. 39300; समापन अवधि माह में: सात
3.	खरिद मण्डलीय अभियन्ता/उत्तर/टीवीसी – मानसून रात्रि निरीक्षण करने के लिए बहिःखोजन द्वारा अर्द्ध-कुशल श्रमिकों की कार्यव्यवस्था; अनुमानित मूल्य रु. लाख में: 26.73; धरोहर राशि जमा: रु. 53500; समापन अवधि माह में: चार
4.	त्रिवेन्द्रम मण्डल – टीवीसीआर – नवीन एच-बीम स्टील स्टीपर्स के साथ कोरोडेड चैनल स्टीपर्स का नवीनीकरण-1366 म.व; अनुमानित मूल्य रु. लाख में: 409.75; धरोहर राशि जमा: रु. 354900; समापन अवधि माह में: बारह
5.	एलसी संख्या 59ए के बदले में कि. मी. 76/700-800 में धारानुर – एनकुलम अनुमान पर प्रस्तावित सर्वेक्षण; अनुमानित मूल्य रु. लाख में: 243.32; धरोहर राशि जमा: रु. 271700; समापन अवधि माह में: छह
6.	कोचीन हॉरर टर्मिनस डिपो में ट्रेक बल्लास्ट का संग्रहण एवं प्रशिक्षण; अनुमानित मूल्य रु. लाख में: 446.25; धरोहर राशि जमा: रु. 373100; समापन अवधि माह में: बारह
7.	हरिपेट डिपो में ट्रेक बल्लास्ट का संग्रहण एवं प्रशिक्षण; अनुमानित मूल्य रु. लाख में: 203.25; धरोहर राशि जमा: रु. 251600; समापन अवधि माह में: बारह
8.	त्रिवेन्द्रम मण्डल – मण्डलीय अभियन्ता उत्तरी क्षेत्राधिकारिता में लूप लाइव्स पर स्लीपर डेंड्रीटी (एस) में वृद्धि करना; अनुमानित मूल्य रु. लाख में: 57.95; धरोहर राशि जमा: रु. 115900; समापन अवधि माह में: बारह
9.	त्रिवेन्द्रम मण्डल – मण्डलीय अभियन्ता दक्षिणी क्षेत्राधिकारिता में लूप लाइव्स पर स्लीपर डेंड्रीटी (एस) में वृद्धि करना; अनुमानित मूल्य रु. लाख में: 90.38; धरोहर राशि जमा: रु. 180700; समापन अवधि माह में: बारह
10.	त्रिवरु पी. वे अनुमान में ट्रेक की व्यक्तित गहन जांच-पड़ताल करना; अनुमानित मूल्य रु. लाख में: 60.00; धरोहर राशि जमा: रु. 120000; समापन अवधि माह में: छह
11.	त्रिवेन्द्रम मण्डल – एडोपर्स/क्यूलरलन उप-मण्डल में वॉल्ट्स, प्लाटफॉर्म एवं क्रॉसिंग्स में ट्रेक की व्यक्तित गहन जांच-पड़ताल करना; अनुमानित मूल्य रु. लाख में: 79.54; धरोहर राशि जमा: रु. 159100; समापन अवधि माह में: छह
12.	पीएफ सं. 1 एवं एफओबी का टीवीसी सुधार; अनुमानित मूल्य रु. लाख में: 251.28; धरोहर राशि जमा: रु. 275700; समापन अवधि माह में: बारह

निविदा सूचना सं. V/W/TVC/10/2022 का नियम 8(1) देखें।
आधिपत्य सूचना (अवध संघित हेतु)

निविदा सूचना सं. V/W/TVC/10/2022 का नियम 8(1) देखें।
आधिपत्य सूचना (अवध संघित हेतु)

निविदा सूचना सं. V/W/TVC/10/2022 का नियम 8(1) देखें।
आधिपत्य सूचना (अवध संघित हेतु)

निविदा सूचना सं. V/W/TVC/10/2022 का नियम 8(1) देखें।
आधिपत्य सूचना (अवध संघित हेतु)

निविदा सूचना सं. V/W/TVC/10/2022 का नियम 8(1) देखें।
आधिपत्य सूचना (अवध संघित हेतु)

निविदा सूचना सं. V/W/TVC/10/2022 का नियम 8(1) देखें।
आधिपत्य सूचना (अवध संघित हेतु)

निविदा सूचना सं. V/W/TVC/10/2022 का नियम 8(1) देखें।
आधिपत्य सूचना (अवध संघित हेतु)

निविदा सूचना सं. V/W/TVC/10/2022 का नियम 8(1) देखें।
आधिपत्य सूचना (अवध संघित हेतु)

निविदा सूचना सं. V/W/TVC/10/2022 का नियम 8(1) देखें।
आधिपत्य सूचना (अवध संघित हेतु)

निविदा सूचना सं. V/W/TVC/10/2022 का नियम 8(1) देखें।
आधिपत्य सूचना (अवध संघित हेतु)

निविदा सूचना सं. V/W/TVC/10/2022 का नियम 8(1) देखें।
आधिपत्य सूचना (अवध संघित हेतु)

निविदा सूचना सं. V/W/TVC/10/2022 का नियम 8(1) देखें।
आधिपत्य सूचना (अवध संघित हेतु)

निविदा सूचना सं. V/W/TVC/10/2022 का नियम 8(1) देखें।
आधिपत्य सूचना (अवध संघित हेतु)

निविदा सूचना सं. V/W/TVC/10/2022 का नियम 8(1) देखें।
आधिपत्य सूचना (अवध संघित हेतु)

निविदा सूचना सं. V/W/TVC/10/2022 का नियम 8(1) देखें।
आधिपत्य सूचना (अवध संघित हेतु)

निविदा सूचना सं. V/W/TVC/10/2022 का नियम 8(1) देखें।
आधिपत्य सूचना (अवध संघित हेतु)

निविदा सूचना सं. V/W/TVC/10/2022 का नियम 8(1) देखें।
आधिपत्य सूचना (अवध संघित हेतु)

निविदा सूचना सं. V/W/TVC/10/2022 का नियम 8(1) देखें।
आधिपत्य सूचना (अवध संघित हेतु)

निविदा सूचना सं. V/W/TVC/10/2022 का नियम 8(1) देखें।
आधिपत्य सूचना (अवध संघित हेतु)

निविदा सूचना सं. V/W/TVC/10/2022 का नियम 8(1) देखें।
आधिपत्य सूचना (अवध संघित हेतु)

निविदा सूचना सं. V/W/TVC/10/2022 का नियम 8(1) देखें।
आधिपत्य सूचना (अवध संघित हेतु)

निविदा सूचना सं. V/W/TVC/10/2022 का नियम 8(1) देखें।
आधिपत्य सूचना (अवध संघित हेतु)

निविदा सूचना सं. V/W/TVC/10/2022 का नियम 8(1) देखें।
आधिपत्य सूचना (अवध संघित हेतु)

निविदा सूचना सं. V/W/TVC/10/2022 का नियम 8(1) देखें।
आधिपत्य सूचना (अवध संघित हेतु)

निविदा सूचना सं. V/W/TVC/10/2022 का नियम 8(1) देखें।
आधिपत्य सूचना (अवध संघित हेतु)

निविदा सूचना सं. V/W/TVC/10/2022 का नियम 8(1) देखें।
आधिपत्य सूचना (अवध संघित हेतु)

निविदा सूचना सं. V/W/TVC/10/2022 का नियम 8(1) देखें।
आधिपत्य सूचना (अवध संघित हेतु)

निविदा सूचना सं. V/W/TVC/10/2022 का नियम 8(1) देखें।
आधिपत्य सूचना (अवध संघित हेतु)

निविदा सूचना सं. V/W/TVC/10/2022 का नियम 8(1) देखें।
आधिपत्य सूचना (अवध संघित हेतु)

निविदा सूचना सं. V/W/TVC/10/2022 का नियम 8(1) देखें।
आधिपत्य सूचना (अवध संघित हेतु)

निविदा सूचना सं. V/W/TVC/10/2022 का नियम 8(1) देखें।
आधिपत्य सूचना (अवध संघित हेतु)

निविदा सूचना सं. V/W/TVC/10/2022 का नियम 8(1) देखें।
आधिपत्य सूचना (अवध संघित हेतु)

निविदा सूचना सं. V/W/TVC/10/2022 का नियम 8(1) देखें।
आधिपत्य सूचना (अवध संघित हेतु)

निविदा सूचना सं. V/W/TVC/10/2022 का नियम 8(1) देखें।
आधिपत्य सूचना (अवध संघित हेतु)

निविदा सूचना सं. V/W/TVC/10/2022 का नियम 8(1) देखें।
आधिपत्य सूचना (अवध संघित हेतु)

निविदा सूचना सं. V/W/TVC/10/2022 का नियम 8(1) देखें।
आधिपत्य सूचना (अवध संघित हेतु)

निविदा सूचना सं. V/W/TVC/10/2022 का नियम 8(1) देखें।
आधिपत्य सूचना (अवध संघित हेतु)

निविदा सूचना सं. V/W/TVC/10/2022 का नियम 8(1) देखें।
आधिपत्य सूचना (अवध संघित हेतु)

निविदा सूचना सं. V/W/TVC/10/2022 का नियम 8(1) देखें।
आधिपत्य सूचना (अवध संघित हेतु)

निविदा सूचना सं. V/W/TVC/10/2022 का नियम 8(1) देखें।
आधिपत्य सूचना (अवध संघित हेतु)

निविदा सूचना सं. V/W/TVC/10/2022 का नियम 8(1) देखें।
आधिपत्य सूचना (अवध संघित हेतु)

निविदा सूचना सं. V/W/TVC/10/2022 का नियम 8(1) देखें।
आधिपत्य सूचना (अवध संघित हेतु)

निविदा सूचना सं. V/W/TVC/10/2022 का नियम 8(1) देखें।
आधिपत्य सूचना (अवध संघित हेतु)

निविदा सूचना सं. V/W/TVC/10/2022 का नियम 8(1) देखें।
आधिपत्य सूचना (अवध संघित हेतु)

निविदा सूचना सं. V/W/TVC/10/2022 का नियम 8(1) देखें।
आधिपत्य सूचना (अवध संघित हेतु)

निविदा सूचना सं. V/W/TVC/10/2022 का नियम 8(1) देखें।
आधिपत्य सूचना (अवध संघित हेतु)

निविदा सूचना सं. V/W/TVC/10/2022 का नियम 8(1) देखें।
आधिपत्य सूचना (अवध संघित हेतु)

निविदा सूचना सं. V/W/TVC/10/2022 का नियम 8(1) देखें।
आधिपत्य सूचना (अवध संघित हेतु)

निविदा सूचना सं. V/W/TVC/10/2022 का नियम 8(1) देखें।
आधिपत्य सूचना (अवध संघित हेतु)

निविदा सूचना सं. V/W/TVC/10/2022 का नियम 8(1) देखें।
आधिपत्य सूचना (अवध संघित हेतु)

निविदा सूचना सं. V/W/TVC/10/2022 का नियम 8(1) देखें।
आधिपत्य सूचना (अवध संघित हेतु)

निविदा सूचना सं. V/W/TVC/10/2022 का नियम 8(1) देखें।
आधिपत्य सूचना (अवध संघित हेतु)

निविदा सूचना सं. V/W/TVC/10/2022 का नियम 8(1) देखें।
आधिपत्य सूचना (अवध संघित हेतु)

निविदा सूचना सं. V/W/TVC/10/2022 का नियम 8(1) देखें।
आधिपत्य सूचना (अवध संघित हेतु)

निविदा सूचना सं. V/W/TVC/10/2022 का नियम 8(1) देखें।
आधिपत्य सूचना (अवध संघित हेतु)

निविदा सूचना सं. V/W/TVC/10/2022 का नियम 8(1) देखें।
आधिपत्य सूचना (अवध संघित हेतु)

निविदा सूचना सं. V/W/TVC/10/2022 का नियम 8(1) देखें।
आधिपत्य सूचना (अवध संघित हेतु)

निविदा सूचना सं. V/W/TVC/10/2022 का नियम 8(1) देखें।
आधिपत्य सूचना (अवध संघित हेतु)

निविदा सूचना सं. V/W/TVC/10/2022 का नियम 8(1) देखें।
आधिपत्य सूचना (अवध संघित हेतु)

निविदा सूचना सं. V/W/TVC/10/2022 का नियम 8(1) देखें।
आधिपत्य सूचना (अवध संघित हेतु)

निविदा सूचना सं. V/W/TVC/10/2022 का नियम 8(1) देखें।
आधिपत्य सूचना (अवध संघित हेतु)

निविदा सूचना सं. V/W/TVC/10/2022 का नियम 8(1) देखें।
आधिपत्य सूचना (अवध संघित हेतु)

निविदा सूचना सं. V/W/TVC/10/2022 का नियम 8(1) देखें।
आधिपत्य सूचना (अवध संघित हेतु)

‘आयकर रिटर्न की संख्या में बढ़ोतरी का रुझान’

पणजी, 11 जून (भाषा)।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की अध्यक्ष संगीता सिंह ने शनिवार को कहा कि वित्त वर्ष 2020-21 की तुलना में वित्त वर्ष 2021-22 में आयकर रिटर्न की संख्या में वृद्धि हुई है।

सिंह ने कहा कि वित्त वर्ष में आयकर रिटर्न की संख्या 7.14 करोड़ थी, जो उसके एक साल

पहले 6.9 करोड़ थी। इस तरह आयकर रिटर्न की संख्या में स्पष्ट वृद्धि दर्शाती है। उन्होंने कहा कि करदाताओं के संख्या और संशोधित रिटर्न दखिल करने की संख्या में वृद्धि हुई है।

सीबीडीटी प्रमुख ने कहा कि बोर्ड कर संग्रह में वृद्धि देख रहा है। यह स्थिति आमतौर पर तब बनती है, जब देश में आर्थिक विकास तरक्की के रास्ते पर हो। सिंह ने कहा कि यदि आर्थिक गतिविधियां बढ़ रही हों तो खरीद और बिक्री में भी वृद्धि होगी। जब तक अर्थव्यवस्था नहीं बढ़ती है, तब तक करों की मात्रा में वृद्धि नहीं हो सकती है।

फॉर्म-ए सार्वजनिक सूचना	
(भारतीय दिवाला और प्रोपन अधिनियम बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया) विनियमों, 2016 के विनियम 6 के अधीन)	
श्री विष्णु इंटरवल्स (इंडिया) लिमिटेड के लेनदारों के ध्यानार्थ	
संबंधित विवरण	
1. कारपोरेट जारी का नाम	श्री विष्णु इंटरवल्स (इंडिया) लिमिटेड
2. कारपोरेट जारी के समावेश की तिथि	29.03.1996
3. प्राधिकारी जिसके अधीन कारपोरेट व्यक्ति व्यवस्थापक/पंजीकृत है	विद्युत्त आरंभ कंत्रालय, दिल्ली
4. कारपोरेट जारी का कारपोरेट पहचान संख्या/संयोजित पहचान संख्या	U15312DL1996PLC077680
5. कारपोरेट जारी के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई है) का पता	812, टी.सी. रोड, 6 ^थ फ्लोर, के.ए.ए. रोड, चिन्नमनूर, नई दिल्ली-110034
6. कारपोरेट जारी के चारित्रिक को नुसारगी तिथि	10.06.2022
7. दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया के समापन की अनुमति तिथि	06.12.2022
8. अंतिम प्रस्ताव पेश करने के रूप में कारपोरेट दिवाला जारी का नाम व बीबीआई नंबर	इडबीआई नंबर: IBB/MPA-001/P-00219/2017-2018/10457
9. अंतिम प्रस्ताव पेश करने का पता व ई-मेल पता (यदि कोई है) का पता पंजीकृत है	इडबीआई नंबर: IBB/MPA-001/P-00219/2017-2018/10457 ईमेल आई.टी. हेजेट्टी/ईमेल आई.टी. हेजेट्टी@gmail.com फोन नं. +91 90417-00000
10. अंतिम प्रस्ताव पेश करने के लिए प्रबंधन की जाने वाली इच्छित तथा पता	इडबीआई नंबर: IBB/MPA-001/P-00219/2017-2018/10457 ईमेल आई.टी. हेजेट्टी/ईमेल आई.टी. हेजेट्टी@gmail.com फोन नं. +91 90417-00000
11. जारी की प्रकृत करने की तिथि	24.06.2022
12. अंतिम प्रस्ताव पेश करने की तिथि (यदि कोई है) का पता	24.06.2022
13. जारी के रूप में प्रकृत करने की तिथि (यदि कोई है) का पता	24.06.2022
14. (क) संबंधित जारी का पता (ख) संबंधित जारी के पता	(क) वेब लिंक: http://www.ireps.gov.in/downloadform.html (ख) फोन नं. +91 90417-00000
साधारण सूचना दी जाती है कि माननीय लेनदार कंपनी रजिस्ट्रार के लिए दिनांकित 10.06.2022 को श्री विष्णु इंटरवल्स (इंडिया) लिमिटेड की कारपोरेट दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया को शुरू करने का अहंति दिवस है। श्री विष्णु इंटरवल्स (इंडिया) लिमिटेड के लेनदार को केवल प्रतिवृत्त नंबर 10 के अंतर्गत वित्त वर्ष पर अंतिम प्रस्ताव पेश करने की 24.06.2022 को का पता से पूर्व अपने दावों की प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए साधारण आधीनता किताब है।	
वित्तीय लेनदारों को केवल इलेक्ट्रॉनिक तरीके द्वारा अपने दावों का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। अन्य सभी लेनदारों को अपने दावों, डाक द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक तरीके द्वारा प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।	
दावों के प्रमाण का प्रकृतिकरण भारतीय दिवाला और प्रोपन अधिनियम बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया) विनियमों, 2016 के अध्याय IV के अनुसार करना चाहिए। दावों के प्रमाण को उनके दावों के सम्बन्ध में दस्तावेजी प्रमाण के साथ निम्नलिखित लिंक पर के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है:	
डिवाला-1	
धारा 1: धारिता लेनदार द्वारा दावों के लिए (कारपोरेट व कारपोरेटों को छोड़कर)	
धारा 2: धारिता लेनदारों द्वारा दावों के लिए	
धारा 3: धारिता लेनदारों द्वारा दावों के लिए	
धारा 4: धारिता लेनदारों द्वारा दावों के लिए	
धारा 5: धारिता लेनदारों द्वारा दावों के लिए	
धारा 6: धारिता लेनदारों द्वारा दावों के लिए	
धारा 7: धारिता लेनदारों द्वारा दावों के लिए	
धारा 8: धारिता लेनदारों द्वारा दावों के लिए	
धारा 9: धारिता लेनदारों द्वारा दावों के लिए	
धारा 10: धारिता लेनदारों द्वारा दावों के लिए	
धारा 11: धारिता लेनदारों द्वारा दावों के लिए	
धारा 12: धारिता लेनदारों द्वारा दावों के लिए	
धारा 13: धारिता लेनदारों द्वारा दावों के लिए	
धारा 14: धारिता लेनदारों द्वारा दावों के लिए	
धारा 15: धारिता लेनदारों द्वारा दावों के लिए	
धारा 16: धारिता लेनदारों द्वारा दावों के लिए	
धारा 17: धारिता लेनदारों द्वारा दावों के लिए	
धारा 18: धारिता लेनदारों द्वारा दावों के लिए	
धारा 19: धारिता लेनदारों द्वारा दावों के लिए	
धारा 20: धारिता लेनदारों द्वारा दावों के लिए	
धारा 21: धारिता लेनदारों द्वारा दावों के लिए	
धारा 22: धारिता लेनदारों द्वारा दावों के लिए	
धारा 23: धारिता लेनदारों द्वारा दावों के लिए	
धारा 24: धारिता लेनदारों द्वारा दावों के लिए	
धारा 25: धारिता लेनदारों द्वारा दावों के लिए	
धारा 26: धारिता लेनदारों द्वारा दावों के लिए	
धारा 27: धारिता लेनदारों द्वारा दावों के लिए	
धारा 28: धारिता लेनदारों द्वारा दावों के लिए	
धारा 29: धारिता लेनदारों द्वारा दावों के लिए	
धारा 30: धारिता लेनदारों द्वारा दावों के लिए	
धारा 31: धारिता लेनदारों द्वारा दावों के लिए	
धारा 32: धारिता लेनदारों द्वारा दावों के लिए	
धारा 33: धारिता लेनदारों द्वारा दावों के लिए	

दिनांक: 12.06.2022
स्थान: बंगलौर

Reg. No IBB/MPA-001/P-00219/2017-2018/10457
श्री विष्णु इंटरवल्स (इंडिया) लिमिटेड
के विवरण में अंतिम प्रस्ताव पेश करने

दिनांक: 12.06.2022
स्थान: बंगलौर

दिनांक:

सख्त हुई सरकार, 237 लोग गिरफ्तार

13 प्राथमिकियां दर्ज, सभी आरोपियों पर रासुका के तहत होगी कार्रवाई

लखनऊ/कानपुर/प्रयागराज 11 जून (भाषा)।

उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा के सिलसिले में प्रशासन ने शनिवार को पत्थरबाजों और तोड़फोड़ करने वालों को पहचानने का अभियान शुरू किया। पुलिस ने अब तक कुल 13 प्राथमिकी दर्ज करते हुए 237 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही हिंसा के मुख्य साजिशकर्ता और उसने जुड़े लोगों को कार्रवाई शुरू की।

अपर पुलिस महानिदेशक (कानून व्यवस्था) प्रशांत कुमार के मुताबिक प्रयागराज, हाथरस, सहारनपुर, आंबेडकरनगर, मुरादाबाद, अलीगढ़, फिरोजबाद में 237 लोगों को गिरफ्तार किया है। हिंसा के सिलसिले में सबसे ज्यादा 68 प्राथमिकियां प्रयागराज में दर्ज की गई हैं। इसके अलावा सहारनपुर, फिरोजबाद, अलीगढ़, हाथरस, मुरादाबाद, आंबेडकरनगर, खीरी और जालौन में भी प्राथमिकियां दर्ज की गई हैं।

पुलिस ने बताया कि सहारनपुर और प्रयागराज में कई राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत गिरफ्तार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस बीच, हिंसा करने वालों को परोक्ष चेतावनी देते



समाज विरोधी तत्वों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होगी। ऐसे असामाजिक लोगों के लिए सभ्य समाज में कोई स्थान नहीं है।

तत्वों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होगी। ऐसे असामाजिक लोगों के लिए सभ्य समाज में कोई

स्थान नहीं है। यह ध्यान रखें कि किसी भी निर्दोष का उत्पीड़न न हो, लेकिन दोषी एक भी न बचे।'

दूसरी ओर विवादास्पद टिप्पणी के विरोध में भड़की हिंसा के एक सप्ताह बाद कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) ने शनिवार को मुख्य आरोपी के एक करीबी सहयोगी के स्वामित्व वाली एक ऊंची इमारत को ध्वस्त कर दिया। वहीं मुख्य साजिशकर्ता समेत चार आरोपियों को पुलिस ने अदालत के निर्देश पर शनिवार को तीन दिन की पुलिस हिरासत में ले लिया।

संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून और व्यवस्था) आनंद प्रकाश तिवारी ने शनिवार को इसकी पुष्टि की और बताया कि कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) ने मोहम्मद इश्तियाक के स्वामित्व वाली एक नवनिर्मित इमारत को ध्वस्त कर दिया है, जिसे मुख्य आरोपी जफर हयात हाशमी का करीबी रिश्तेदार कहा जाता है।

उन्होंने कहा कि घटना के कारण, उद्देश्य, धन की आपूर्ति समेत सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि जहां तोड़फोड़ की जा रही है वहां पुलिस और प्रशासन मौजूद है। विशेष जांच दल (एसआइटी) से जुड़े एक अधिकारी ने कहा कि अदालत ने कानपुर हिंसा के

मुख्य आरोपी जफर हयात हाशमी, जावेद अहमद खान, मोहम्मद राहिल और सुफियान को 72 घंटे की पुलिस हिरासत में रखने की मंजूरी दे दी है। पुलिस के अनुसार जफर हयात हाशमी पर हिंसा का मुख्य साजिशकर्ता होने का संदेह है और कथित तौर पर विदेशों से उसने धन प्राप्त किया और हाशमी और उनकी पत्नी से जुड़े बैंक खातों का पता लगाया जा रहा है। पुलिस ने प्रयागराज में पथराव के साजिशकर्ता जावेद अहमद उर्फ जावेद पंप सहित 68 लोगों को हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस के एक अधिकारी ने शनिवार को इसकी जानकारी दी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय कुमार ने बताया कि जावेद अहमद को पुलिस हिरासत में लिया गया है और उससे गहनता से पूछताछ की जा रही है जिसके आधार पर अन्य लोगों की गिरफ्तारी की जाएगी।

उन्होंने बताया कि थाना खुल्दाबाद और थाना करेली में 70 नामजद अभियुक्तों और 5000 से भी ज्यादा अज्ञात शरारती तत्वों के खिलाफ 29 गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया अभी तक 68 लोगों पुलिस हिरासत में लिया गया है।

सहारनपुर : दो आरोपियों के मकान ध्वस्त किए

सहारनपुर, 11 जून (जनसत्ता)।

सहारनपुर पुलिस और प्रशासन ने जुमे की नमाज के बाद सहारनपुर नगर में उपद्रव, फसाद और अराजकता फैलाने वाले दंगाइयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। शनिवार शाम तक 64 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। इन पर रासुका (राष्ट्रीय सुरक्षा कानून) भी लगेगा। एसएसपी आकाश तोमर ने शनिवार शाम को बताया कि नगर निगम और पुलिस की टीमों ने आज दो अभियुक्तों मुजम्मिल पुत्र असमत निवासी राहत कालोनी, 62 फुटा रोड, कोतवाली देहात और अभियुक्त अब्दुल बकार पुत्र बिलाल निवासी खाताखेड़ी, बिलाल मस्जिद, थाना मंडी के मकानों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। दोनों स्थानों पर नगर निगम की टीमों संबंधित थानों की पुलिस के साथ मौके पर पहुंची और मकानों के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई।

ध्यान रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उपद्रव वाले जिलों के आला अफसरों को कड़ी कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए थे और एंडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत संपत्तियां जब्त करने के आदेश दिए थे। सहारनपुर उत्तर प्रदेश के उन जिलों में शामिल है जहां शुक्रवार को नमाजियों में शामिल असामाजिक तत्वों ने जमकर बवाल काटा था। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 64 गिरफ्तारियां भी सहारनपुर जिले में ही गई हैं। एसएसपी आकाश तोमर ने बताया कि संबंधित थानों की पुलिस लगातार आरोपियों को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चिन्हित कर गिरफ्तारी कर रही हैं और असामाजिक तत्वों के घरों को बुलडोजर से ध्वस्त करने का अभियान चलाया जा रहा है।

तीर्थ पुरोहितों का प्रतिनिधिमंडल कश्मीर के पुरोहितों से मिलेगा

वृंदावन, 11 जून (जनसत्ता)।

तीर्थ पुरोहितों का एक प्रतिनिधि मंडल कश्मीर का दौरा करेगा। प्रतिनिधि मंडल वहां के स्थानीय तीर्थ पुरोहितों से वार्ता करेगा। इस दौरान घाटी में स्थित मंदिरों में विधि-विधान से पूजा-अर्चना सुनिश्चित कराई जाएगी। कश्मीर मंडल में अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा कार्यकारिणी की बैठक राष्ट्रीय एकता और अखंडता को धारण करने की ओर एक महत्वपूर्ण कदम होगा।

अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश पाठक ने बताया कि एक प्रतिनिधि मंडल 14 जुलाई को कश्मीर जाकर कश्मीर क्षेत्र के पुरोहितों से मिलकर वहां स्थित मंदिरों में वैदिक व सनातन पूजा-

अर्चना की व्यवस्था कराएगा। उन्होंने बताया कि पाक अधिकृत कश्मीर स्थित सर्वज्ञ पीठ के स्वामी अमृतानंद देव तीर्थ के आग्रह पर अप्रैल माह में एक प्रतिनिधि मंडल पहले भी गया था। महासभा के अधिवेशन में पारित प्रस्ताव के अंतर्गत आगामी 14 जुलाई को महासभा का 21 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल कश्मीर जाकर इस विषय पर स्थानीय तीर्थ पुरोहितों से चर्चा करेगा।

इस प्रतिनिधिमंडल में पूरे देश के तीर्थ से महासभा के पदाधिकारी जाएंगे। प्रतिनिधि मंडल 15 जुलाई को मार्तंड तीर्थ अनंतनाग में बैठक करेगा। 16 जुलाई को खीर भवानी मंदिर में पूजा-अर्चना के बाद स्थानीय तीर्थ पुरोहितों से विचार-विमर्श किया जाएगा।

यूपी में कैदियों की समय पूर्व रिहाई के लिए 60 साल की उम्र सीमा हटी

कारागार महानिदेशक ने कहा, यह कैदियों के लिए उम्मीद की किरण

लखनऊ, 11 जून (भाषा)।

उत्तर प्रदेश की जेलों में बंद कैदियों के लिए राज्य सरकार ने समय से पहले रिहाई के वारंटे 60 वर्ष की आयु सीमा की शर्त को हटा दिया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी।

जेल नीति में संशोधन के बारे में विस्तार से बताते हुए, उप्र के कारागार महानिदेशक आनंद कुमार ने बताया, 'इस आशय का एक निर्णय 7-10 दिन पहले लिया गया था। पहले, आयु सीमा 60 वर्ष थी। इससे पहले किसी कैदी की रिहाई के बारे में विचार नहीं किया जा सकता था। बाद में, यह विचार किया गया कि

यदि किसी व्यक्ति ने 25 वर्ष की आयु में अपराध किया है, तो वह 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले 35 वर्ष तक जेल में रहेगा। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे ऐसा व्यक्ति सुधरेगा या सुधार के कोई संकेत दिखाएगा।' कुमार ने बताया, '...कैदी को सुधार का अवसर मिलना चाहिए, इस सोच के साथ आयु सीमा (60 वर्ष) को हटा दिया गया है।'

उन्होंने कहा कि सरकार 16 साल की कैद पूरी होने के बाद उम्रकैद की सजा काट रहे कैदी को रिहा करने पर विचार करेगी अगर इस अवधि के दौरान उसे कोई छूट न मिली हो। या फिर कैदी ने अगर छूट का लाभ लिया है तो 20 वर्ष की कैद के बाद

समय पूर्व रिहाई पर विचार किया जाएगा।

हालांकि महानिदेशक यह नहीं बता सके कि उप्र की जेलों में बंद कितने कैदियों को इस कदम से फायदा होगा।

उन्होंने कहा, 'बहुत से कैदियों के पास अब एक अवसर उपलब्ध होगा, और यह उनके लिए उम्मीद की एक किरण होगी, कि अगर वे 16 साल की कैद पूरी करते हैं, तो वे जेल में अच्छे आचरण पर समय से पहले रिहाई के पात्र होंगे।'

कुमार ने कहा कि अब तक उत्तर प्रदेश की 74 जेलों में करीब 1.20 लाख कैदी बंद हैं, जिनमें केंद्रीय जेल और जिला जेल भी शामिल हैं।

मुख्य सचिव ने ग्राम चौपाल में शिरकत की

उन्नाव, 11 जून (जनसत्ता)।

प्रदेश के मुख्य सचिव ने बांगरमऊ क्षेत्र के ग्राम मऊ में ग्राम पंचायतों के सशक्तिकरण को समर्पित एक अभियान के अंतर्गत ग्राम चौपाल में शिरकत की। उन्होंने कहा कि देश विकास के पथ पर तेजी से अग्रसर है, लेकिन विकास की गति को बनाए रखने के लिए आप सबका सहयोग अपेक्षित है।

मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने जन चौपाल में सर्वप्रथम सरकार द्वारा संचालित अस्थाई गोवंश आश्रय स्थलों में संरक्षित गावों हेतु भूसा दान करने वाले किसानों का माल्यार्पण कर उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि वह भी ग्रामीण अंचल के ही निवासी हैं। इसीलिए वह अक्सर ग्रामीण परिवेश को देखने के लिए गांवों में भ्रमण के लिए जाते रहते हैं। उन्होंने मऊ के सर्वांगीण विकास को देखकर गांव की प्रधान अफसाना को बधाई देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की मंशा अनुसार उन्होंने गांव का कार्याकल्प किया है। मुख्य सचिव ने गांव के विकास में योगदान देने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों को भी बधाई दी। मंच का संचालन रत्ना पांडेय व विश्वनाथ तिवारी ने

संयुक्त रूप से किया।

मुख्य सचिव ने ऐतिहासिक सिद्ध पीठ मां राजराजेश्वरी मंदिर पहुंच कर पूजन-अर्चना किया। यहां विद्वान आचार्य शशिनाथ अवस्थी और मंदिर के पुजारी पंडित प्रवीण दीक्षित ने वेद मंत्रोच्चार के साथ माता जी का पूजन कराया। उन्होंने मंदिर परिसर के समक्ष औषधीय वृक्ष अशोक और गोल्ड मोहर की पौधा का रोपण भी किया। मुख्य सचिव के चौपाल और मंदिर दर्शन कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी रविंद्र कुमार, पुलिस अधीक्षक दिनेश निपाठी, मुख्य विकास अधिकारी दिव्यांशु पटेल, अपर जिलाधिकारी निरेंद्र सिंह, उप जिलाधिकारी अंकित शुक्ला, पुलिस उपाधीक्षक विक्रमाजीत सिंह, खंड विकास अधिकारी नवाबगंज मुनेश चंद्र, मुख्य चिकित्साधिकारी डा सत्य प्रकाश, जिला पंचायत राज अधिकारी गिरीश चंद्र साहू, जिला विकास अधिकारी मनीष कुमार, एडीओ पंचायत कौशल कुमार, तहसीलदार, अधिशासी अधिकारी, अधिशासी अभियंता विद्युत, चिकित्सा अधीक्षक, जिला पशु चिकित्सा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी तथा स्थानीय पशु चिकित्सा अधिकारी आदि सहित सभी राजस्व एवं पंचायत कर्मी मौजूद रहे।

सड़क निर्माण को लेकर हुए विवाद के बाद पूर्व प्रधान की हत्या

मुजफ्फरनगर, 11 जून (जनसत्ता)।

चरथावल थाना क्षेत्र के गांव पावटी खुर्द में सड़क निर्माण को लेकर हुए विवाद के बाद बीती देर रात 65 वर्षीय पूर्व प्रधान शराफत की गला दबाकर हत्या कर दी गई। शुक्रवार देर रात सड़क निर्माण को लेकर पूर्व प्रधान शराफत तथा पूर्व प्रधान हुननआरा के पुत्र दानिश के बीच कहासुनी हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक पूर्व प्रधान शराफत ने सड़क ऊंची कराए जाने पर नाराजगी जाहिर की। इस पर उनकी बहस दानिश से हो गई।

चंदौली : अलग-अलग दुर्घटनाओं में तीन लोगों की मौत

चंदौली 11 जून (जनसत्ता)।

शनिवार को जिले के मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र के हृदयपुर रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय एक युवक की ट्रेन से कटक मृत हो गई। वहीं चकिया कोतवाली क्षेत्र के करमचा बाड़ेपर (हरिपुर) गांव के पास मैजिक से दबकर जा रही एक महिला की मौत हो गई।

तीसरी घटना में नौगढ़ थाना क्षेत्र के गोइंटुटवा गांव के पास भूसा लेकर जा रही मैजिक से बाइक अनियंत्रित होकर टकराई, जिससे बाइक चालक की मौत हो गई जबकि पीछे बैठे दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मिली जानकारी के अनुसार

मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र के सहजौर गांव निवासी रवि यादव (32) ट्रैक्टर-ड्राली से मिट्टी गिराने का काम करता था। शनिवार की सुबह इसी सिलसिले में बाइक से हृदयपुर गांव जा रहा था। रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय फोन पर किसी से बात कर रहा था। उसी दौरान ट्रेन आ रही थी। वहां मौजूद लोगों ने आवाज देने के बावजूद रवि ट्रेन की चपेट में आ गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

वहीं दूसरी ओर चकिया कोतवाली क्षेत्र के करमचा बाड़ेपर (हरिपुर) गांव के पास चंचा देवी (50) शनिवार की सुबह घर के बाहर से उपले पाथकर वापस घर लौट रही थी।

कोविड के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था ने जोरदार वापसी की : अमेरिका

वाशिंगटन, 11 जून (भाषा)।

अमेरिका के वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को संसद को सौंपी गई एक रिपोर्ट में कहा है कि कोविड-19 की तीन लहरों का सामना करने के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था ने जोरदार वापसी की है।

वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को जारी अपनी अर्द्धवार्षिक रिपोर्ट में कहा कि भारत में महामारी की दूसरी लहर ने 2021 के मध्य तक आर्थिक वृद्धि पर बहुत ज्यादा असर डाला था, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था को पटरी पर लौटने में देरी हुई। भारत के कोविड-रोधी टीकाकरण प्रयासों की प्रशंसा करते हुए मंत्रालय ने कहा, हालांकि वर्ष की

दूसरी छमाही में आर्थिक गतिविधियों ने जोरदार वापसी की और भारत के टीकाकरण कार्यक्रम में तेजी आई। अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने कहा कि वर्ष 2021 के अंत तक, भारत की लगभग 44 फीसद आबादी का टीकाकरण पूरा हो चुका था।

मंत्रालय ने कहा कि 2020 में भारत की विकास दर सात फीसद थी। 2021 की दूसरी तिमाही में विकास दर महामारी से पहले के स्तर पर पहुंच गई और 2021 में पूरे साल विकास दर आठ फीसद रही। साल 2022 की शुरुआत में कोरोना के ओमीक्रान स्वरूप के चलते भारत को कोविड-19 की तीसरी लहर का भी सामना करना पड़ा था, लेकिन इस दौरान मृतकों की संख्या और आर्थिक गिरावट

सीमित ही रही।

मंत्रालय ने कहा कि भारत सरकार ने 2021 में महामारी को देखते हुए उसके दुष्प्रभावों से बचाने के लिए अर्थव्यवस्था को वित्तीय सहायता प्रदान करना जारी रखा। अधिकारियों का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2022 में कुल राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 6.9 फीसद तक हो गया, जो कि महामारी से पहले के राजकोषीय घाटे से अधिक है।

मंत्रालय के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक ने मई, 2020 से अपनी प्रमुख नीतिगत दरों को चार फीसद पर बरकरार रखा, लेकिन जनवरी 2021 में इसने कोविड-19 महामारी के शुरुआती दौर में विकास के लिए तैयार किए गए असाधारण उपायों पर धीरे-धीरे अमल करना शुरू किया।

विदेशी मुद्रा भंडार घट कर 601.057 अरब डालर पर

मुंबई, 11 जून (भाषा)।

भारत का विदेशी मुद्रा भंडार तीन जून को समाप्त सप्ताह में 30.6 करोड़ डालर घट कर 601.057 अरब डालर पर आ गया। आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार इससे पिछले सप्ताह, विदेशी मुद्रा भंडार 3.854 अरब डालर बढ़ कर 601.363 अरब डालर हो गया था।

20 मई को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार 4.23 अरब डालर बढ़ कर 597.509 अरब डालर रहा था। समीक्षाधीन सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट का कारण विदेशी मुद्रा आस्तियों में आई गिरावट है, जो कुल मुद्रा भंडार का एक महत्वपूर्ण घटक है। आंकड़ों के अनुसार समीक्षाधीन सप्ताह में विदेशी मुद्रा आस्तियां (एफसीपी) 20.8 करोड़ डालर घट कर 536.779 अरब डालर रह गई।

'आयकर रिटर्न की संख्या में बढ़ोतरी का रुझान'

पणजी, 11 जून (भाषा)।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की अध्यक्ष संगीता सिंह ने शनिवार को कहा कि वित्त वर्ष 2020-21 की तुलना में वित्त वर्ष 2021-22 में आयकर रिटर्न की संख्या में वृद्धि हुई है।

सिंह ने कहा कि बीते वित्त वर्ष में आयकर रिटर्न की संख्या 7.14 करोड़ थी, जो उसके एक साल पहले 6.9 करोड़ थी। इस तरह आयकर रिटर्न की संख्या में स्पष्ट वृद्धि दर्शाती है। उन्होंने कहा कि करदाताओं के संख्या और संशोधित रिटर्न दखिल करने की संख्या में वृद्धि हुई है।

सीबीडीटी प्रमुख ने कहा कि बोर्ड कर संग्रह में वृद्धि देख रहा है। यह स्थिति आमतौर पर तब बनती है, जब देश में आर्थिक विकास तरक्की के रास्ते पर हो। सिंह ने कहा कि यदि

आर्थिक गतिविधियां बढ़ रही हों तो खरीद और बिक्री में भी वृद्धि होगी। जब तक अर्थव्यवस्था नहीं बढ़ती है, तब तक करों की मात्रा में वृद्धि नहीं हो सकती है।

उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल के कारण विभाग करों के भुगतान में भी वृद्धि देख रहा है। कोविड-19 महामारी के दौरान लोगों ने अधिक डिजिटल भुगतान करना शुरू किया है। उन्होंने कहा कि करदाताओं की सूचनाएं देने की पहल, उन्हें समय पर करों का भुगतान करने के बारे में जागरूक बनाने में भी योगदान दे रही है। हमने हाल के वर्षों में व्यापक तौर पर डिजिटलीकरण भी किया है।

सीबीडीटी अध्यक्ष के अनुसार, वित्त वर्ष 2021-22 में कर संग्रह 14 लाख करोड़ रुपए से अधिक का हुआ है, जो वित्त वर्ष 2019-20 के कर संग्रह को तुलना में काफी अच्छा है।

